3/5080

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

मुख्यमंत्री जनसम्पर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस रिलीज एवं गृह विभाग के आदेश क्रमांक : प.33(2)गृह/9/2019, जयपुर, दिनांक : 19.03.2020 के अनुसार प्रदेश में कोरोना वायरस से लोगों की जीवन रक्षा के लिए कुछ आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी सरकारी विभागो मे दिनांक : 31.03.2020 तक शटडाउन के निर्देश प्रदान किए गए हैं। इस संबंध मे स्कूल शिक्षा विभाग के प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल कार्यालयों मे शटडाउन के संबंध मे एतद् द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. शटडाउन का अर्थ अवकाश नहीं है, कार्मिकों की आवश्यकता होने पर कार्यालयों में उपस्थित होना होगा, केवल चिकित्सा कारणों एवं पारिवारिक आवश्यक परिस्थितियों को छोडकर किसी भी प्रकार के अवकाश एवं मुख्यालय परित्याग की अनुमति इस अवधि के दौरान नहीं होगी। यह फिर भी स्पष्ट किया जाता है कि इन आदेशों का मुख्य उद्देश्य राजकीय कर्मचारियों एवं उनके परिवारजन को सुरक्षित रखना है, अतः वे अनावश्यक घूमने–फिरने पर बंदिश रखें, ताकि वे बाहर के व्यक्तियों से कम से कम सम्पर्क में आएं।
2. प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय तथा संभाग, जिला एवं ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुलों में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों पर यह शटडाउन लागू नहीं होगा।
3. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपने कार्यालय मे रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति तय कर सकेंगे। शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से कार्य (Work from home) करेंगे एवं यथा आवश्यकता घर से ऑनलाईन कार्य भी कर सकेंगे। कार्यालयाध्यक्ष कार्यालय से संबंधित करणीय कार्य का समुचित विभाजन कर घर से कार्य के संबंध में अपने अधीनस्थ कार्मिकों को निर्देश दे सकेंगे जिनका पालन समस्त कार्मिकों के लिए अनिवार्य होगा।
4. माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय में संबंधित ग्रुप/अनुभाग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिकों को उपस्थित होने के निर्देश मौखिक या लिखित व्यक्तिशः दूरभाष, ई–मेल, व्हाट्सएप, पत्र या अन्य किसी भी संचार माध्यम से देकर किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी को कार्यालय बुलाया जा सकेगा, जिसकी पालना आवश्यक होगी। इस अवधि में समस्त कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक अपना मोबाईल चालू स्थिति में रखेंगे एवं विभागीय आदेशों की तत्काल पालना के लिए तत्पर रहेंगे।
5. आगामी 31 मार्च 2020 तक इस कार्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित बैठक, व्यक्तिगत सुनवाई इत्यादि पुनः निर्धारित करने हेतु अग्रिम आदेशार्थ अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत की जावे। माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय के समस्त अनुभाग अधिकारी एवं उच्चतर अधिकारी अपने–अपने अनुभाग/ग्रुप से संबंधित ई–मेल/दूरभाष से निरतंर जुड़े रहने के लिए अधीनस्थ कार्मिको को पाबंद करेंगे तथा ई–मेल पर प्राप्त संदेशों पर तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

150 Shala Darpan

6. निदेशालय — माध्यमिक एवं प्रारम्भिक शिक्षा एवं समस्त अधीनस्थ कार्यालयों में आगन्तुकों पर रोक रहेगी। अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक एवं अन्य नागरिक ई—मेल इत्यादि के माध्यम से सूचनाओं का आदान—प्रदान करेंगे।

यह आदेश राजकीय विद्यालयों में कार्यरत स्टाफ पर लागू नहीं होगें। इस संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी भिन्न आशय के समस्त आदेश निष्प्रभावी होंगे।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/साप्र/बी—2/विविध/4418/68/270 दिनांक : 20.03.2020

प्रतिलिपि :— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त ग्रुप अधिकारी/अनुभागाधिकारी, कार्यालय हाजा।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान — बीकानेर/अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर।
8. समस्त संभागी संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) — माध्यमिक/प्रारम्भिक।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब—साईट पर अपलोड करने हेतु।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा।
राजस्थान, बीकानेर